न्यायालय :: सत्र न्यायाधीश, एटा

उपस्थितः दिनेश चन्द, (एच0जे0एस0)

जे0ओ0 कोड सं0 यू0पी06538

सत्रवाद सं0–346 / 2025

(C.N.R. No.-UPET010025392025)

उत्तर प्रदेश राज्य ––––––अभियोजन

बनाम

1. योगेन्द्र उर्फ पप्पू पुत्र दलवीर सिंह,
   निवासी शाहपुर, थाना बिछवां, जिला मैनपुरी।
2. मनोज उर्फ भूरे पुत्र साहब सिंह,
   निवासी महाराजपुर, थाना जसरथपुर, जिला एटा।
3. नितेश उर्फ नितनेश पुत्र विश्वप्रकाश,
   निवासी बहगो, थाना जैथरा, जिला एटा।
4. सोगेश उर्फ नैक्सा पुत्र रनवीर सिंह,
   निवासी बरौलिया, थाना कुरावली, जिला मैनपुरी।
5. शिवकुमार उर्फ योगेश पुत्र रनवीर सिंह,
   निवासी बरौलिया, थाना कुरावली, जिला मैनपुरी।
6. प्रदीप पुत्र बलवीर, निवासी महाराजपुर,
   थाना जसरथपुर, जिला एटा। ––––––अभियुक्तगण

एवं

सत्रवाद सं0–167 / 2026

(C.N.R. No.-UPET010012822026)

उत्तर प्रदेश सरकार ––––––अभियोजन

बनाम

राघवेन्द्र उर्फ राजेश उर्फ राजा उर्फ टिंकू तिवारी
पुत्र वीरेन्द्र, निवासी सांडा, थाना बिछवां, जिला मैनपुरी। ––––––अभियुक्त

मु0अ0सं0–429 / 2024
धारा–103(1),61(2)ए,238ए,3(5) बी0एन0एस0।
थाना–जैथरा, जिला एटा।

निर्णय

01. थाना जैथरा, जिला एटा की पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 429 / 2024, 103(1),61(2)ए,238ए,3(5) बी0एन0एस0, थाना जैथरा, जिला एटा के मामले में

विवेचनोपरांत पृथक–पृथक आरोप–पत्र अभियुक्तगण योगेन्द्र उर्फ पप्पू, मनोज उर्फ भूरे, नितेश उर्फ नितनेश, सोगेश उर्फ नेक्सा, शिवकुमार उर्फ योगेश, प्रदीप व राघवेन्द्र उर्फ राजेश उर्फ राजा उर्फ टिंकू तिवारी के विचारण हेतु न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा को प्रेषित किये जाने पर, न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लेकर मामलों को अन्नयतः सत्र परीक्षणीय होने के आधार पर अभियुक्तगण को अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियॉ धारा 230 बी0एन0एस0 के तहत् प्रदत्त कर विचारण हेतु सत्र सुपुर्द किये जाने पर, क्रमशः सत्रवाद सं0 346/2025 व 167/2026 के रूप में संस्थित हुए।

02. चूँकि दोनों सत्रवाद एक ही अपराध संख्या से संबंधित हैं, जिस कारण न्यायालय द्वारा अभियोजन के प्रार्थना–पत्र 24ब को स्वीकार कर आदेश दिनांकित 16.03.2026 द्वारा दोनों सत्रवादों को समेकित करते हुए सत्रवाद सं0 346/2025, राज्य बनाम योगेन्द्र उर्फ पप्पू आदि की पत्रावली को लीडिंग पत्रावली बनाया गया और उसी में समस्त साक्ष्य अभिलिखित की गयी। अतः दोनों सत्र परीक्षण वादों का निस्तारण संयुक्त रूप से एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

03. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा कान्ती देवी पत्नी विश्वप्रकाश, निवासी बहगो, थाना जैथरा, जिला एटा द्वारा दिनांक 17.12.2024 को इस आशय का गुमशुदगी प्रार्थना–पत्र **प्रदर्श क–01** थाना जैथरा, जिला एटा पर दिया गया कि वह बहगो, थाना जैथरा, जिला एटा की रहने वाली है। दिनांक 13.12.2024 को उसका लड़का मुनेश कुमार उम्र 40 वर्ष घर से बिना बताये कहीं चला गया है। उसने काफी खोजबीन की, लेकिन कोई पता नहीं चला। उसका लड़का दिमाग से कुछ कम है। वह इसकी सूचना देने थाने आयी है। उसकी सूचना लिखकर आवश्यक कार्यवाही की जाये।

04. तदोपरांत दिनांक 21.12.2024 को **जगमोहन** पुत्र राधेश्याम, निवासी ग्राम व पोस्ट अलूपुरा, थाना कुरावली, जिला मैनपुरी द्वारा एक प्रार्थना–पत्र **प्रदर्श क–05** थाना कुरावली, जिला मैनपुरी पर इस आशय का दिया गया कि आज दिनांक 21.12.2024 को वह अपने गॉव की शारदा देवी का अंतिम संस्कार करने काली नदी पर आया था, तभी उसे एक अज्ञात डैडबॉडी नदी में पानी में तैरती हुई दिखाई दी, जिसकी सूचना उसने डायल 112 पर दी थी तथा थानाध्यक्ष कुरावली को भी सूचना दे रहा है। आवश्यक कार्यवाही की जाये।

05. तत्पश्चात् थाना कुरावली, जिला मैनपुरी पर नियुक्त पी0डब्लू0 07 उपनिरीक्षक राहुल कुमार द्वारा दिनांक 21.12.2024 को समय 17:45 बजे मौके पर पहॅुचकर अज्ञात शव उम्र लगभग 30 वर्ष का पंचायतनामा **प्रदर्श क–07** मुरत्तिव

कर आवश्यक प्रपत्र चालान नाश, फोटो नाश व चिट्ठी सी0एम0ओ0 क्रमशः **प्रदर्श क–08 लगायत प्रदर्श क–10** तैयार किये गये।

06. तदोपरांत वादिनी के पुत्र श्यामबाबू पुत्र विश्वप्रकाश, निवासी बहगो, थाना जैथरा, जिला एटा द्वारा थाना कुरावली, जिला मैनपुरी पर एक **प्रार्थना–पत्र प्रदर्श क–14** इस आशय का दिया गया कि दिनांक 21.12.2024 को अलूपुरा पुल के नीचे शव मिला। दिनांक 23.12.2024 को शव की पहचान कर ली है, जो उसके भाई का है। नाम मुकेश कुमार पुत्र श्री विश्वप्रकाश, निवासी ग्राम बहगो, थाना जैथरा, जिला एटा है, जिसकी मृत्यु का सही कारण जानने के लिये पोस्टमार्टम कराना चाहता है, जिसकी उम्र 39 वर्ष है, जिसकी जाति ब्राह्मण है। उसका भाई दिनांक 13.12.2024 से गुम हो गया था, जिसकी रिपोर्ट दिनांक 17. 12.2024 को थाना जैथरा पर दर्ज कराई थी।

07. तत्पश्चात् अज्ञात शव की पहचान वादिनी के पुत्र मुनेश कुमार के रूप में हो जाने के उपरांत शव को वास्ते विच्छेदन जिला अस्पताल मैनपुरी भेजा गया, जहॉ दिनांक 23.12.2024 को समय 02:10 पी0एम0 से लेकर 03:05 पी0एम0 तक डॉ0 अर्जुन सिंह पी0डब्लू0 06 द्वारा मृतक मुनेश कुमार के शव का विच्छेदन करके शव–विच्छेदन आख्या **प्रदर्श क–06** तैयार की गयी।

08. तदोपरांत दिनांक 29.12.2024 को वादिनी मुकदमा कान्ती देवी पत्नी विश्वप्रकाश, निवासी बहगो, थाना जैथरा, जिला एटा द्वारा पुनः एक प्रार्थना–पत्र **प्रदर्श क–02** थाना जैथरा, जिला एटा पर इस आशय का दिया गया कि उसके पुत्र मुनेश कुमार की दिनांक 23.12.2024 को अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी। उसने उसका अंतिम संस्कार करा दिया था। इसकी सूचना देने वह थाने पर आई है। उसकी सूचना लिखकर आवश्यक कार्यवाही की जाये।

09. वादिनी मुकदमा के द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र **प्रदर्श क–02** के आधार पर थाना जैथरा, जिला एटा में मु0अ0सं0 429/2024, धारा 103(1) बी0एन0एस0 के अंतर्गत दिनांक 29.12.2024 को समय 20:51 बजे अज्ञात के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–03 पंजीकृत की गयी, जिसका खुलासा नकल रपट सं0 57, समय 20:51 बजे दिनांकित 29.12.2024 **प्रदर्श क–04** में किया गया।

10. इस मामले की विवेचना पी0डब्लू0 09 निरीक्षक शम्भूनाथ द्वारा प्रारंभ की गयी, जिसके द्वारा दिनांक 29.12.2024 को जिस स्थान से मृतक का जाना बताया गया था, उस स्थान का निरीक्षण करके नक्शा–नजरी **प्रदर्श क–11** तैयार किया गया। दौरान विवेचना दिनांक 12.01.2025 को अभियुक्तगण योगेन्द्र उर्फ पप्पू, मनोज उर्फ भूरे, नितेश उर्फ नितनेश, सोगेश उर्फ नेक्सा, शिवकुमार

उर्फ योगेश, प्रदीप व राघवेन्द्र उर्फ राजेश उर्फ राजा उर्फ टिंकू तिवारी के नाम प्रकाश में आये। दिनांक 13.01.2025 को पी0डब्लू0 09 द्वारा घटनास्थल से आला–कत्ल एक अदद लोहे का पाईप, घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल एक अदद नं0 यू0पी0 84एएल 1671 स्प्लैण्डर व हत्या की सुपारी से संबंधित 37,500 रूपये बरामद कर फर्द **प्रदर्श क–12** तैयार की गयी। विवेचक पी0डब्लू0 09 द्वारा दौरान विवेचना वादी मुकदमा सहित अन्य गवाहान के बयानात दर्ज किये गये। विवेचक द्वारा सम्यक् विवेचनोपरांत पर्याप्त साक्ष्य अभियुक्तगण योगेन्द्र उर्फ पप्पू, मनोज उर्फ भूरे, नितेश उर्फ नितनेश, सोगेश उर्फ नेक्सा, शिवकुमार उर्फ योगेश, प्रदीप व राघवेन्द्र उर्फ राजेश उर्फ राजा उर्फ टिंकू तिवारी के विरूद्ध पाये जाने पर पृथक–पृथक आरोप–पत्र क्रमशः प्रदर्श क–13 व प्रदर्श क–15 अन्तर्गत धारा 103(1),61(2)ए,238ए,3(5) बी0एन0एस0 में विचारण हेतु न्यायालय प्रेषित किये गये।

11. अभियुक्तगण योगेन्द्र उर्फ पप्पू, मनोज उर्फ भूरे, नितेश उर्फ नितनेश, सोगेश उर्फ नेक्सा, शिवकुमार उर्फ योगेश, प्रदीप व राघवेन्द्र उर्फ राजेश उर्फ राजा उर्फ टिंकू तिवारी न्यायालय उपस्थित आये। अभियुक्तगण योगेन्द्र उर्फ पप्पू, मनोज उर्फ भूरे, नितेश उर्फ नितनेश के विरूद्ध धारा 103(1) सपठित धारा 3(5) व 61(2)ए बी0एन0एस0 के अंतर्गत एवं अभियुक्तगण सोगेश उर्फ नेक्सा, शिवकुमार उर्फ योगेश व प्रदीप के विरूद्ध धारा 103(1) सपठित धारा 3(5) व 238ए बी0एन0एस0 के अंतर्गत आदेश दिनांकित 12.06.2025 द्वारा एवं अभियुक्त राघवेन्द्र उर्फ राजेश उर्फ राजा उर्फ टिंकू तिवारी के विरूद्ध धारा 103(1) सपठित धारा 3(5) व 61(2)ए बी0एन0एस0 के अंतर्गत आदेश दिनांकित 10.03.2026 द्वारा आरोप विरचित किये गये, जिनसे अभियुक्तगण ने इन्कार किया और विचारण की मांग की।

12. अभियोजन की ओर से अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में गुमशुदगी रिपोर्ट, प्रार्थना–पत्र वादिनी दिनांकित 29.12.2024, प्रथम सूचना रिपोर्ट, कायमी जी0डी0, प्रार्थना–पत्र जगमोहन दिनांकित 21.12.2024, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पंचायतनामा, चालान नाश, फोटो नाश, चिट्ठी सी0एम0ओ0, नक्शा–नजरी, फर्द बरामदगी, आरोप–पत्र सं0 65/2025 को क्रमशः प्रदर्श क–01 लगायत प्रदर्श क–13 के रूप में साबित कराया गया है। इसके अतिरिक्त बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियोजन के प्रपत्र प्रार्थना–पत्र श्यामबाबू, आरोप–पत्र सं0 65ए/2025 एवं विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट की औपचारिक सत्यता को अंतर्गत धारा 330 बी0एन0एस0एस0 स्वीकार किया गया, जिन पर क्रमशः प्रदर्श क–14 लगायत प्रदर्श क–16 अंकित किये गये।

13. अभियोजन की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0–01 कान्ति देवी (वादिनी मुकदमा), पी0डब्लू0–02 उमा, पी0डब्लू0–03 सविता, पी0डब्लू0–04 कॉ0 महेन्द्र सिंह, पी0डब्लू0–05 जगमोहन सिंह, पी0डब्लू0 06 डॉ0 अर्जुन सिंह, पी0डब्लू0 07 विशाल कुमार, पी0डब्लू0 08 एस0आई0 राहुल कुमार व पी0डब्लू0 09 निरीक्षक शम्भूनाथ को परीक्षित कराया गया है।

14. अभियोजन की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण के मुख्य बयान निम्नवत् हैंः–

15. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–01 वादिनी मुकदमा कान्ति देवी** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि उसका पुत्र मुनेश कुमार उम्र 40 वर्ष दिनांक 13.12.2024 की शाम को घर पर बिना बताए मोटरसाइकिल से कहीं चला गया था। जब वह रात भर वापस नहीं आया, तो उन लोगों ने उसके मोबाइल नंबर 9627725470 पर बात करने की कोशिश की, तो मुनेश की बेटी सविता ने बताया कि पापा के उक्त नं० में रिचार्ज कूपन नहीं है और पापा ने नई सिम आज फोन में डाली है। जब उसने सविता से मोबाइल नं० माँगा, तो सविता ने उसे मोबाइल नं० नहीं दिया। उसे रैपर पड़ा मिला। उसका लड़का मुनेश रामलीला व झाँकियों में नाच–गाने का प्रोग्राम करता था और बिना बताए घर से चला जाता था। जानकारी न मिलने पर उसने दिनांक 17.12.2024 को एक गुमशुदगी लिखकर थाना जैथरा पर दी, जो पत्रावली में कागज सं० 11अ है, जिसे देखकर साक्षी ने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की पुष्टि की, जिस पर **प्रदर्श क–01** डाला गया। दिनांक 21.12.2024 को उसके पुत्र मुनेश का शव अल्लूपुरा काली नदी के पुल के नीचे थाना कोरावली जनपद मैनपुरी में मिलने की उसे जानकारी हुई, तो उसने दिनांक 23.12.2024 को मैनपुरी जाकर अपने बेटे श्यामबाबू व नितेश और अन्य रिश्तेदारों के साथ जाकर अपने बेटे मुनेश के शव की पहचान की। कुरावली थाना पुलिस द्वारा शव का पंचायतनामा कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद मुनेश के शव को उन लोगों को सुपुर्द किया गया। पोस्टमार्टम व अंतिम संस्कार के बाद उसने थाना जैथरा में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई। साक्षी ने पत्रावली में उपलब्ध कागज सं०–5अ देखकर कहा कि यह वही तहरीर है, जो उसने अपने पुत्र मुनेश की पहचान के बाद अपने हस्ताक्षर के बाद थाना जैथरा पर दी थी। इस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया। विवेचक ने उसका बयान लिया था, उक्त सभी बातें उसने विवेचक को बता दी थी।

16. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–02 उमा** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि उसके पति मुनेश कुमार पार्टियों में नाचने–गाने का काम करते थे। वह अक्सर उसे बिना बताये घर से बाहर चले जाते थे।

कभी–कभी 10–15 दिन तक वापस नहीं आते थे। आज से करीब एक वर्ष तीन माह पूर्व उसके पति मुनेश शाम को 04:00 बजे उसे बिना बताये मोटरसाइकिल से चले गये थे। जब वह रात में वापस नहीं आये, तो उसकी सास कान्तीदेवी को चिन्ता हुई और उन्होंने उसके पति के मोबाइल नम्बर 9627725470 पर बात की। जब बात नहीं हो पायी, तो उसकी बेटी सरिता ने बताया कि पापा के मोबाइल में पैसे नहीं हैं और पापा ने कोई दूसरी सिम मोबाइल में डाल ली है। उस पर भी बातचीत नहीं हो पायी, तो उसकी पुत्री सरिता ने बताया कि आज ही दूसरी सिम ली है, जिसका नम्बर नहीं मालूम। उसके पति कई दिन तक लौटकर नहीं आए। उसके 10 दिन बाद उसके पति का शव थाना कुरावली, जिला मैनपुरी के क्षेत्र में अलूपुरा, काली नदी के पुल के नीचे पड़ा मिला। जब उन लोगों को जानकारी हुई, तब उन लोगों ने थाना मैनपुरी जाकर अपने पति के शव की शिनाख्त की। उसकी सास ने लिखा–पढ़ी की थी।। विवेचक ने उसका बयान लिया था, उक्त सभी बातें उसने विवेचक को बता दी थी।

17. अभियोजन की ओर से **पी0डब्लू0–03** के रूप में साक्षी **सविता उम्र करीब 14 वर्ष** को प्रस्तुत किया गया। इस साक्षी से न्यायालय द्वारा कुल 08 प्रश्न किये गये, जिनमें से यह साक्षी केवल 04 प्रश्नों का सही उत्तर दे पायी। यह साक्षी उससे किये गये प्रश्न समझने और उनका युक्तिसंगत उत्तर देने में असमर्थ रही, जिस कारण इस साक्षी को न्यायालय द्वारा समर्थ साक्षी नहीं माना गया और इस साक्षी का साक्ष्य अभिलिखित किया जाना न्यायसंगत नहीं पाया गया तथा इस साक्षी को साक्ष्य देने से से उन्मोचित किया गया।

18. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–04 कॉ0 महेन्द्र सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 29.12.2024 को वह थाना जैथरा पर बतौर सी.सी. तैनात था। उसी दिन वादिया कान्ती देवी पत्नी श्री विश्वप्रकाश निवासी बहगों थाना जैथरा, जिला एटा एक हस्तलिखित तहरीर अपने हस्ताक्षर सहित लेकर आई, जो अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा वादिया के पुत्र मुनेश कुमार की दिनांक 23.12.2024 को हत्या कर देने के संबंध में थी। तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध सं० 429/2024, धारा 103(1) बी.एन.एस. बनाम अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया गया। चिक रिपोर्ट उसने स्वयं कम्प्यूटर पर किता की थी, जो मुताबिक तहरीर शब्द व शब्द सही है। इस बात का उसने चिक रिपोर्ट पर प्रमाण–पत्र भी अंकित किया है। चिक रिपोर्ट की कॉपी निकालकर तत्कालीन थाना प्रभारी के हस्ताक्षर कराए। चिक रिपोर्ट पत्रावली में उपलब्ध कागज सं०–4अ/1 लगायत 4अ/3 पर तत्कालीन थाना प्रभारी के हस्ताक्षर की पुष्टि की। इस पर **प्रदर्श–क–03** डाला गया। मुकदमा कायमी का खुलासा जी.ड़ी रपट

नंबर 57 समय 20:51 बजे दिनांक 29.12.2024 में किया है। जी.डी. रिपोर्ट उसने स्वयं कम्प्यूटर पर किता थी, जो पत्रावली में कागज सं० 7अ/1 है, जिसे उसने आज अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित किया है। इस पर **प्रदर्श–क–04** डाला गया। मुकदमा कायमी की सूचना उच्चाधिकारियों की दी गई। थाना प्रभारी को मय फोर्स के विवेचनात्मक कार्यवाही के लिए रवाना किया गया। एस.आर. रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को उचित माध्यम से भेजी गयी। विवेचना थाना प्रभारी निरीक्षक को सुपुर्द की गयी। वादिया को चिक रिपोर्ट की कॉपी निःशुल्क दी गई। तहरीर तथा चिक रिपोर्ट उचित माध्यम से न्यायालय भेजी गई। विवेचक ने उसका बयान लिया था। उक्त सभी बातें उसने विवेचक को बता दी थीं।

19. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–05 जगमोहन सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 21.02.2024 को वह अपने गांव के अन्य लोगों के साथ अपने गांव की शारदा देवी के अंतिम संस्कार हेतु काली नदी के किनारे पर आया था, तभी उन सब गांव वालों को एक अज्ञात शव नदी के पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया, जिसकी सूचना उसने अपने मोबाइल से 112 नम्बर पुलिस को दी। उसके द्वारा लिखित में थाना कुरावली पर भी सूचना दी गयी थी, जिसके आधार पर पुलिस ने आकर शव को कब्जे में लिया और शव का पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। उसे गवाह पंचान नियुक्त किया था। साक्षी ने पत्रावली में उपलब्ध कागज सं० 10अ/4 तहरीर को देखकर और पढ़कर उसके मजमून व अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की, इस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया। पुलिस ने पंचायतनामा पर उसके हस्ताक्षर कराये थे। साक्षी ने पत्रावली में उपलब्ध कागज सं० 14अ/1 व 14अ/2 पंचनामा पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की। बाद में उसे ज्ञात हुआ कि यह शव मृतक मुनेश कुमार पुत्र विश्वप्रकाश निवासी बहगौ, थाना जैथरा, जिला एटा का था। विवेचक ने उसका बयान लिया था, उक्त सभी बातें उसने विवेचक को बता दी थी।

20. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–06 डॉ0 अर्जुन सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 23.12.2024 को वह सी.एम.ओ. मैनपुरी के रोस्टर के अनुसार मोर्चरी मैनपुरी पर आये शवों का विच्छेदन कर रिपोर्ट तैयार करने हेतु नियुक्त था। उसी दिन एक शव थाना कुरावली से सीलबंद हालत में मय 12 पुलिस पेपर्स लेकर कां० नारायण सिंह व विनीत भाटी लेकर आये थे। शव की शिनाख्त वहाँ पर आये उसके पिता विश्वप्रकाश और भाई श्यामबाबू ने की थी। शव को सीलबंद हालत से उसके द्वारा खोला गया और समय करीब 02.10 पी.एम. से 03.05 पी.एम. तक शव का विच्छेदन कर रिपोर्ट तैयार की थी। रिपोर्ट कम्प्यूटर प्रारूप पर तैयार की थी। रिपोर्ट तैयार

करने के बाद उसने अपने हस्ताक्षर किये थे। शव की लंबाई 176 सेमी, वजन 74.200 कि.ग्रा., औसत कद–काठी का था। मृतक के कपड़े एक जैकेट, एक हॉफ स्वैटर, एक शर्ट, एक अंडरवियर और एक हाथ में कलावा, कुल पाँच कपड़े थे। शव के शरीर पर अकड़न मौजूद नहीं थी। शव का चेहरा फूला हुआ, पेट फूला हुआ, पैनिस और अंडकोष सूजा हुआ, शव की खाल छूट रही थी, बाल उखड़ रहे थे। आँखे और मुँह बंद था।

शव के शरीर पर आयी चोटें

1. शव के शरीर पर 8 X 1 सेमी0 का लैसेरेटिड वून्ड, सिर की ऑक्सीपिटल हड्डी पर था, जो बायें कान से 5 सेमी0 ऊपर था।

2. घाव के नीचे की ऑक्सीपिटल बोन में फ्रैक्चर था।

3. नीलगू निशान 6 X 3 सेमी0 का दाहिने पैर के पंजे पर अंदर की तरफ था।

आंतरिक विच्छेदन

1. सिर के दाहिने तरफ की पैराइटल हड्डी के ऊपर क्लोटेड ब्लड मौजूद था, जो दाहिने कान से 05 सेमी0 ऊपर था।

2. सिर के दाहिने तरफ क्लॉटिड ब्लड पाया गया।

3. मृतक की हायड बोन और ट्रैकिया में कोई भी मिट्टी या कोई बाहरी सामग्री नहीं पायी गयी।

4. मृतक के दोनों फेफड़े, किडनी, स्प्लीन, यकृत कंजस्टिड थे।

5. मृतक के ह्रदय का दाहिना चैम्बर खून से भरा हुआ था और बायां चैम्बर खाली था।

6. मृतक के अमाशय में लगभग 200 एम.एल. अधपचा तरल खाद्य पदार्थ पाया गया।

7. छोटी आंत व बड़ी आंत गैस से भरी पायी गयी। छोटी आंत में अधपचा खाना व बड़ी आंत में मल मौजूद था।

मृतक की मृत्यु का सम्भावित समय पोस्टमार्टम किये जाने से करीब 3–4 दिन पूर्व हुई थी। मृतक की मृत्यु, मृत्यु पूर्व सिर पर आयी चोटों से उत्पन्न कोमा के कारण होना संभव है। मृतक का पोस्टमार्टम किये जाने के पश्चात् पोस्टमार्टम रिपोर्ट व शव पर पाये गये कपड़ों को सील कर साथ आये पुलिसकर्मियों को देकर उनके हस्ताक्षर कराये। साक्षी ने पत्रावली में उपलब्ध कागज सं० 15अ/1 लगायत 15अ/7 पोस्टमार्टम रिपोर्ट की पी.डी.एफ. फाइल देखकर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की। इस पर **प्रदर्श क–06** डाला गया। मृतक की मृत्यु सिर पर चोट पहुँचाकर किया जाना संभव है।

21. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–07 विशाल कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि वह सरौंठ गांव में शराब के ठेके के पास अंडे व चाऊमीन की ठेली लगाता है। उसकी ठेली पर ठेका पर जाने वाले लोग अक्सर चाऊमीन और अंडा खरीदते हैं। दिनांक 13.12.2024 को रात में राघवेन्द्र उर्फ टिंकू तिवारी अपने दोस्त योगेन्द्र मास्टर के साथ आये थे। उन्होंने अंडे खरीदे थे। उनके साथ और कौन था, उसे ध्यान नहीं है और शराब पीने के बाद वो कहाँ चले गये, उनके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। उनके साथ उसने मुनेश पुत्र विश्व प्रकाश निवासी बहगो धरौली को नहीं देखा था। वह मुनेश को पहले से जानता है।

22. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–08 एस0आई0 राहुल कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 21.12.2024 को वह थाना कुरावली पर बतौर उपनिरीक्षक तैनात था। उसी दिन थाना कुरावली पर रपट सं० 60 समय 17:25 बजे सूचना प्राप्त हुई कि काली नदी पर अलूपुरा पुल के नीचे अज्ञात मानव शव पानी में तैरता हुआ दिखाई दे रहा था। सूचना पर थाना प्रभारी के निर्देशन पर वह मौके पर मय हमराही फोर्स के साथ पहुँचा, तो ग्रामीणों की मदद लेकर शव को नदी से निकालकर प्रकाश की समुचित व्यवस्था कर आसपास व्यक्तियों से शव की पहचान कराने का प्रयास किया गया। शव की पहचान न होने पर शव का अज्ञात में पंचनामा की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। मौजूद भीड़ में से उसने गवाह पंचान सचिन, जगमोहन, बलवीर, प्रमोद व सत्यराम को नियुक्त किया तथा गवाह पंचान की राय से शव की दशा, स्थिति, शव पर कपड़े, शव पर चोटों को अंकित किया। उसके बाद गवाह पंचान ने अपनी राय एक मत होकर अपने हस्तलेख में अंकित कर अपने हस्ताक्षर किये तथा मृत्यु का सही कारण जानने हेतु शव का पोस्टमार्टम कराये जाने की राय दी। उसकी राय गवाह पंचान की राय से मेल खाती थी, इसलिये अज्ञात शव को एक किट बैग में रखकर सर्वे सील कर कांस्टेबल नारायण व कांस्टेबल विनीत भाटी को पोस्टमार्टम के लिये सुपुर्द किया। साक्षी ने पत्रावली में उपलब्ध कागज सं० 14अ/1 व 14अ/2 पंचनामा पर अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की पुष्टि की। इस पर **प्रदर्श क–07** डाला गया। पंचनामा के साथ ही चालान नाश, फोटो नाश व चिट्ठी सी.एम.ओ. तैयार किये गये, जो उसने अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार किये थे। साक्षी ने पत्रावली में उपलब्ध कागज सं० 14अ/5, 14अ/6 व 14अ/7 को देखकर कहा कि ये उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है। इन पर क्रमशः **प्रदर्श क–08, प्रदर्श क–09 व प्रदर्श क–10** डाला गया। पंचनामा के साथ जो दस्तावेज तैयार कर भेजे गये, उनका जिक्र पंचनामा में किया है। शव को

नियमानुसार पहचान किये जाने हेतु मोर्चरी मैनपुरी में पहचान किये जाने तक रखे जाने तक का अनुरोध किया। दिनांक 23.12.2024 को समय करीब 12.56 बजे श्यामबाबू पुत्र विश्व प्रकाश निवासी बहगों थाना जैथरा हमराही के साथ थाना कार्यालय आये और मोर्चरी में रखे हुए शव को अपने भाई मुनेश पुत्र विश्व प्रकाश के रूप में पहचान किये जाने का प्रार्थना–पत्र दिया, जिसे उसी दिन थाना कार्यालय की जी.डी. नं. 38 में किता किया तथा अज्ञात शव को मुनेश पुत्र विश्व प्रकाश निवासी बहगों थाना जैथरा जिला एटा के नाम से पंचनामा में नियमानुसार संशोधन किया गया। विवेचक ने उसका बयान लिया था। उक्त सभी बातें उसने विवेचक को बता दी थी।

23. अभियोजन साक्षी **पी0डब्लू0–09 निरीक्षक शम्भूनाथ सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 29.12.2024 को वह थाना प्रभारी जैथरा के पद पर नियुक्त था, उसी दिन वादिया कान्ती देवी द्वारा मु०अ०सं० 429/2024 अन्तर्गत धारा 103(1) बी0एन0एस0 अंकित कराया गया। उसी दिन उसने सी.डी. पर्चा नं० 1 किता किया, जिसमें नकल चिक, नकल रपट, बयान एफ.आई.आर. लेखक, बयान वादिया, मृतक का भाई नितेश उर्फ नितनेश का बयान अंकित किया तथा वादिया की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया। घटनास्थल का निरीक्षण कर उसके द्वारा अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में नक्शा–नजरी तैयार किया। साक्षी ने पत्रावली में उपलब्ध कागज सं० 8अ नक्शा–नजरी को देखकर अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर की पुष्टी की, इस पर **प्रदर्श क–11** डाला गया। दिनांक 30.12.2024 को सी.डी. पर्चा नं० 02 किता किया, जिसमें वादिया ने गुमशुदगी प्रार्थाना–पत्र दिनांक 17.12.2024 को थाना पर दिया था, जिसकी रपट नं० 27 की नकल की तथा गुमशुदगी तहरीर की नकल की गुमशुदगी की जाँच करने वाले उप–निरीक्षक मुकेश तौमर का बयान अंकित किया तथा मृतक की पत्नी उमा, मृतक की पुत्री सविता का बयान अंकित किया। दिनांक 01.01.2025 को सी.डी. पर्चा नं० 3 किता किया, जिसमें पंचायतनामा मृतक मुनेश कुमार जो कुरावली थाना में नदी में लाश मिलने पर तैयार किया गया था तथा पोस्टमार्टम मैनपुरी में हुआ था। पंचनामा तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट की नकल की। दिनांक 04.01.2025 को सी.डी. पर्चा नं० 04 किता किया, जिसमें मृतक मुनेश के मोबाइल नम्बर 9627725470, 7055876525 की सी.डी.आर. प्राप्त की, जिसका अवलोकन किया। दिनांक 07.01.2025 को सी. डी. पर्चा नं० 5 किता किया जिसमें विशाल जो घटनास्थल के आसपास अण्डा बेचने का काम करता था, का बयान अंकित किया। दिनांक 09.01.2025 को सी. डी. पर्चा नं० 6 किता किया, जिसमें अभियुक्तगण की तलाश की। दिनांक 12.01.

2025 को सी.डी. पर्चा नं० 07 किता किया, जिसमें मृतक मुनेश की हत्या कारित करने में राघवेन्द्र उर्फ राजेश उर्फ राजा उर्फ टिन्कू तिवारी, योगेन्द्र उर्फ पप्पू के नाम प्रकाश में आए। दिनाकं 13.01.2025 को सी.डी. पर्चा नं० 8 किता किया जिसमें अभियुक्त योगेन्द्र उर्फ पप्पू को गिरफ्तार किया तथा उससे पूछताछ की, पूछताछ करने पर अभियुक्त योगेन्द्र उर्फ पप्पू द्वारा घटना करना स्वीकार किया तथा घटना किये जाने में अपने साथ–साथ अभियुक्त नितेश उर्फ नितनेश, मनोज उर्फ भूरे, शोगेश उर्फ नेक्सा, शिव कुमार उर्फ योगेश व प्रदीप के नाम प्रकाश में आए तथा अभियुक्त नितेश उर्फ नितनेश व मनोज उर्फ भूरा के माध्यम से एक लाख रुपया शोगेश उर्फ नेक्सा, शिव कुमार उर्फ योगेश व प्रदीप को मुनेश की हत्या के लिये दिया जाना बताया, जिससे उक्त सभी अभियुक्तों को प्रकाश में लाते हुए विवेचना की तथा मुखवीर की निशानदेही पर अभियक्त मनोज कुमार उर्फ भूरे को गिरफ्तार किया तथा मनोज उर्फ भूरे से पूछताछ की, जिसमें योगेन्द्र उर्फ पप्पू द्वारा दिये गये बयानों को सत्यापित किया। दिनांक 13.01.2025 को सी. डी. पर्चा नं० 09 किता किया, जिसमें अभियुक्त प्रदीप यादव, शिव कुमार उर्फ योगेश, शोगेश उर्फ नेक्सा को गिरफ्तार किया, अभियुक्तगण ने पूछताछ में पूर्व अभियुक्तगण द्वारा दिये गये बयान का समर्थन किया और रुपये लेकर घटना कारित करना स्वीकार किया तथा जिस आला–कत्ल लोहे के पाइप से मृतक मुनेश की हत्या करना बताया। उस आला–कत्ल तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल यू.पी. 82 ए.एल. 1671 तथा मुनेश की हत्या के लिए गए एक लाख रुपये में से 37,500/– रुपये को बरामद करना बताया तथा अपनी निशानदेही पर आला–कत्ल लोहे का पाइप तथा उक्त मोटरसाईकिल को देवी नगर पुल के नीचे नदी के पानी में से बरामद कराया। आला–कत्ल को मौके पर ही सील किया गया तथा अभियुक्तगण ने जहां मृतक की हत्या कर नदी में फेंकना बताया, नदी के पुल व रैलिंग पर खून लगा हुआ था, पुल की रैलिंग से खून आलूदा प्लास्टर व सादा प्लास्टर को फोरेंसिक टीम को बुलाकर कब्जा पुलिस किया गया। आला–कत्ल तथा अभियुक्तगण से मुनेश की हत्या में लिये गये एक लाख रुपये में से 37,500/– रुपये तथा मोटरसाईकिल की मौके पर ही लैपटोप पर फर्द तैयार की गई, जिसकी हार्ड कॉपी निकालकर मौके पर ही सभी हमराहीयान पुलिसकर्मी द्वारा हस्ताक्षर किये गये। फर्द पत्रावली में उपलब्ध कागज सं० 9अ/1, 9अ/2 , 9अ/3 है जिसे देखकर साक्षी ने अपने तथा सभी हमराहीयान के हस्ताक्षर की पुष्टी की, इस पर **प्रदर्श क–12** डाला गया। दिनांक 20.01.2025 को सी.डी. पर्चा नं० 10 किता किया, जिसमें शेष अभियुक्तगण की तलाश की, नहीं मिले। दिनांक 27.01.2025 को सी.डी. पर्चा नं० 11 किता किया

जिसमें जिला कारागार में निरुद्ध अभियुक्तगण का न्यायिक रिमान्ड स्वीकृत कराया। दिनांक 03.02.2025 को सी.डी. पर्चा नं० 12 किता किया जिसमें अभियुक्तगण द्वारा हत्या में प्रयुक्त किया गया आलाकत्ल लोहे का पाइप तथा घटनास्थल से बरामद सामान को विधि विज्ञान प्रयोगशाला, अलीगढ़ परीक्षण हेतु भेजा गया। दिनांक 04.02.2025 को सी.डी. पर्चा नं० 13 किता किया, जिसमें पंचायतनामा के गवाहन के बयान अंकित किए। दिनांक 10.02.2025 को सी.डी. पर्चा नं० 14 किता किया, जिसमें जेल में निरुद्ध अभियुक्तगण का न्यायिक रिमान्ड स्वीकृत कराया। दिनांक 15.02.2025 को सी.डी. पर्चा नं० 15 किता किया जिसमें पंचायतनामा के गवाहन सचिन व सत्यराम का बयान अंकित किया गया। दिनांक 24.02.2025 को सी.डी. पर्चा नं० 16 किता किया, जिसमें जेल में निरुद्ध अभियुक्तगण का न्यायिक रिमान्ड स्वीकृत कराया। दिनांक 26.02.2025 को सी.डी. पर्चा नं० 17 किता किया, जिसमें शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के प्रयास किये, नहीं मिले। दिनांक 06.03.2025 को सी.डी. पर्चा नं० 18 किता किया, जिसमें गवाह मंजेश उर्फ मंझा, सुरेश पुत्र रामलाल, रामशंकर पुत्र तिलक सिंह व राजवीर पुत्र श्रीकृष्ण के बयान अंकित किये गये। दिनांक 07.03.2025 को सी.डी. पर्चा नं० 19 किता किया जिसमें जेल में निरुद्ध अभियुक्तगण का न्यायिक रिमान्ड स्वीकृत कराया। दिनांक 12.03.2025 को सी.डी. पर्चा नं० 20 किता किया जिसमें गवाह कंचन सिंह, रवि, आशीष के बयान अंकित किये गये। दिनांक 17.03.2025 को सी.डी. पर्चा नं० 21 किता किया जिसमें गवाह राजकरन, विपनेश, बृजेश के बयान अंकित किये गये। दिनांक 20.03.2025को सी.डी. पर्चा नं० 22 किता किया जिसमें जेल में निरुद्ध अभियुक्तगण का न्यायिक रिमान्ड स्वीकृत कराया। दिनांक 21.03.2025 को सी.डी. पर्चा नं० 23 किता किया, जिसमें घटनास्थल के आसपास की सी.सी.टी.वी. फुटेज लेने का प्रयास किया गया, लेकिन समय अधिक हो जाने के कारण नहीं मिल सकी तथा मृतक के दोनों मोबाइल नम्बर की सी.डी.आर. मय प्रमाण पत्र सहित मंगाने हेतु एस.एस.पी. एटा को पत्राचार किया गया। दिनांक 26.03.2025 को सी.डी. पर्चा नं० 24 किता किया, जिसमें पोस्टमार्टम करने वाले डॉ० अर्जुन सिंह का बयान अंकित किया गया। दिनांक 03.04.2025 को सी.डी. पर्चा नं० 25 किता किया, जिसमें जेल में निरुद्ध अभियुक्तगण का न्यायिक रिमान्ड स्वीकृत कराया। दिनांक 03.04.2025 को ही सी.डी. पर्चा नं० 26 किता किया, जिसमें काली नदी में तैरते हुए शव की पहचान करने वाले श्याम बाबू का बयान अंकित किया तथा आला–कत्ल माल व रुपयों को बरामद करते समय फर्द गवाहन को उप–निरीक्षक संदीप कुमार राणा, कॉ० मुनीश कुमार के बयान अंकित किये गये। दिनांक 04.04.2025 को सी.डी. पर्चा नं० 27 किता

किया जिसमें फर्द के गवाहन हेड कॉस्टेबल विनय कुमार व कॉ० विजय कुमार, रोहित कुमार, विपिन भाटी के बयान अंकित किये गये। दिनांक 05.04.2025 को सी.डी. पर्चा नं. 28 किता किया गया जिसमें पोस्टमार्टम के लिए शव को ले जाने वाले कां० विपिन भाटी, नारायण सिंह तथा पंचनामा तैयार करने वाले उपनिरीक्षक राहुल कुमार तथा श्यामवीर सिंह का बयान अंकित किया तथा न्यायालय की अनुमति लेकर जिला कारागार में निरुद्ध अभियुक्त नितेश उर्फ नितनेश का बयान अंकित किया तथा अब तक की गयी विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त राघवेन्द्र उर्फ राजेश उर्फ राजा के विरुद्ध मुकदमा उपरोक्त में अंतर्गत धारा–103(1)/61(2)ए, 3(5) बी0एन0एस0 तथा अभियुक्त योगेन्द्र उर्फ पप्पू व मनोज उर्फ भूरे के विरुद्ध मुकदमा उपरोक्त में अंतर्गत धारा–103(1)/61(2)ए बी0एन0एस0 तथा नितेश उर्फ नितनेश के विरुद्ध मुकदमा उपरोक्त में अंतर्गत धारा–103(1)/61(2)ए, 3(5) बी0एन0एस0 तथा अभियुक्तगण सोगेश उर्फ नेक्सा व शिवकुमार उर्फ योगेश के विरुद्ध मुकदमा उपरोक्त में अंतर्गत धारा–103(1)/238ए, 3(5) बी0एन0एस0 का अपराध पाते हुए मुकदमा की विवेचना में वृद्धि की गयी। दिनांक 07.04.2025 को सी.डी. पर्चा नं. 29 किता किया गया, जिसमें मृतक की मोटरसाइकिल यू.पी. 82 ए.एस. 2172 का तकनीकी परीक्षण की रिपोर्ट प्राप्त हुई, उसका अवलोकन कर पर्चा सी.डी. किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त में राघवेन्द्र उर्फ राजा उर्फ राजेश उर्फ टिंकू तिवारी अभी भी गिरफ्तार नहीं हो सके। उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया गया तथा अब तक की गयी विवेचना में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त योगेन्द्र उर्फ पप्पू व मनोज उर्फ भूरे के विरुद्ध मुकदमा उपरोक्त में अंतर्गत धारा–103(1)/61(2)ए बी0एन0एस0 तथा नितेश उर्फ नितनेश के विरुद्ध मुकदमा उपरोक्त में अंतर्गत धारा–103(1)/61(2)ए,3(5) बी0एन0एस0 तथा अभियुक्तगण सोगेश उर्फ नैक्सा व शिवकुमार उर्फ योगेश के विरुद्ध मुकदमा उपरोक्त में अंतर्गत धारा–103(1)/238ए, 3(5) बी0एन0एस0 का अपराध पाते हुए आरोप पत्र सं० 65/2025 दिनांक 07.04.2025 को न्यायालय प्रेषित किया गया, जो कम्प्यूटर प्रारूप पर है, उसके द्वारा हस्ताक्षरित तथा तत्कालीन क्षेत्राधिकारी अलीगंज द्वारा अग्रसारित है। इस पर साक्षी ने अपने तथा तत्कालीन क्षेत्राधिकारी के हस्ताक्षर की पुष्टि की, इस पर **प्रदर्श क–13** डाला गया। अभियुक्त राघवेन्द्र उर्फ राजा की गिरफ्तारी न होने के कारण विवेचना मेरे द्वारा सी.डी. पर्चा नं. 30 दिनांक 14.04.2025 को किता कर विवेचना जारी रखी। दिनांक 22.04.2025 को सी.डी. पर्चा नं. 31 किता किया, जिसमें अभियुक्त राघवेन्द्र उर्फ राजा को गिरफ्तार करने का प्रयास किया। दिनांक 26.04.2025 को सी.डी. पर्चा नं. 32

किता किया, जिसमें अभियुक्त राघवेन्द्र उर्फ राजा उर्फ राजेश उर्फ टिंकू का न्यायालय समर्पण किये जाने का रोबकार प्राप्त हुआ, जिसका उल्लेख किया है। दिनांक 19.05.2025 को सी.डी. पर्चा नं. 33 किता किया, जिसमें न्यायालय की अनुमति लेकर जेल में निरुद्ध अभियुक्त राघवेन्द्र उर्फ राजा उर्फ राजेश उर्फ टिंकू का जिला कारागार एटा में जाकर बयान अंकित किया। दिनांक 16.06.2025 को सी.डी. पर्चा नं. 34 किता किया, जिसमें अभियुक्त राघवेन्द्र उर्फ राजा उर्फ राजेश उर्फ टिंकू का न्यायालय से जमानत का रोबकार प्राप्त हुआ, जिसका उल्लेख किया है। दिनांक 28.06.2025 को सी.डी. पर्चा नं. 35 किता किया, जिसमें अभियुक्त राघवेन्द्र उर्फ राजा उर्फ राजेश उर्फ टिंकू के मोबाइल की सी.डी.आर. मय धारा–63ग भा.सा.अधि. प्रमाण–पत्र सहित प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन किया। दिनांक 08.07.2025 को सी.डी. पर्चा नं. 36 किता किया, जिसमें अभियुक्तगण के मोबाइल की सी.डी.आर. व धारा– 63ग भा.सा.अधि. प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु पुनः आवेदन किया। तत्पश्चात् उसका स्थानान्तरण हो गया और विवेचना मेरे पास से स्थानान्तरित हो गयी। माल मुकदमा सील बंद हालत में न्यायालय उपस्थित है, जिसे रूबरू न्यायालय सीलबंद हालत से खोला गया, तो एक अदद लोहे का पाइप निकला, जिसे देखकर साक्षी ने कहा कि ये वही पाइप आला कत्ल है, जिसके दोनों तरफ मिट्टी से भरे हुए होल हैं, यह आला कत्ल अभियुक्तगण शिव कुमार उर्फ योगेश, प्रदीप व सोगेश उर्फ नेक्सा ने बरामद कराया था। इस पर **वस्तु प्रदर्श–01** डाला गया। 37,000 रुपये, जो मौके से बरामद कराये थे, वो थाना मालखाने में जमा किये थे तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल यू.पी. 84ए.एल.1671 स्प्लैन्डर को अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय के आदेशानुसार रिलीज करा लिया गया था।

24. अभियुक्तगण के बयान अन्तर्गत धारा 351 बी0एन0एस0एस0 दर्ज किये गये। अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए पी0डब्लू0 01 लगायत पी0डब्लू0 03, पी0डब्लू0 05 व पी0डब्लू0 07 के बयान के संबंध में कुछ नहीं कहा। साक्षी पी0डब्लू0 04 द्वारा सारी कार्यवाही झूठी करना बताया गया। साक्षी पी0डब्लू0 06 द्वारा गॉव वालों व राजनैतिक दबाव में झूठी कार्यवाही करना बताया गया। इसी प्रकार पी0डब्लू0 08 द्वारा सारी कार्यवाही झूठी करना व पी0डब्लू0 09 द्वारा कारगुजारी दिखाने के लिये सारी कार्यवाही झूठी करना बताया। अभियुक्तगण द्वारा औपचारिक प्रपत्रों की सत्यता स्वीकार किये जाने के संबंध में कुछ नहीं कहा गया। अभियुक्तगण ने गॉव की पार्टीबंदी व रंजिश के कारण झूठा मुकदमा चलना, स्वयं को निर्दोष होना, स्वयं को झूठा फंसाया होना बताया गया तथा सफाई साक्ष्य देने से इनकार किया गया।

25. अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य का सम्यक् अवलोकन किया।

26. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया कि प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है तथा अभियोजन के साक्षियों द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रॅंखला को साबित नहीं किया जा सका है, न ही घटना का हेतुक ही साबित किया गया है, न ही प्रथम सूचना रिपोर्ट में ही घटना का हेतुक दर्शाया गया है। यह भी तर्क किया गया कि अभियोजन के पास ऐसा कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, जिसने अभियुक्तगण को मृतक की हत्या करते हुए देखा हो। अभियोजन साक्षी पी.डब्लू. 07 विशाल कुमार, जिसने कथित तौर पर अभियुक्तों को घटना की रात देखा था, न्यायालय में अपने बयान से मुकर गया और अभियुक्तों को पहचानने से इनकार कर दिया। मृतक मुनेश कुमार शराब पीने का आदी था। बचाव पक्ष का तर्क है कि संभवतः अत्यधिक नशे की स्थिति में मोटरसाइकिल चलाते समय वह स्वयं पुल से नीचे नदी में गिर गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और उसकी मृत्यु हुई। मृतक की माता पी.डब्लू. 01 और पत्नी पी.डब्लू. 02 ने प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट स्वीकार किया कि उन्होंने किसी को हत्या करते नहीं देखा और न ही उन्हें यह पता है कि हत्या किसने की। मृतक की पत्नी पी0डब्लू0 02 के अनुसार अभियुक्तगण से उनकी कोई पुरानी दुश्मनी या रंजिश नहीं थी, जिससे हत्या का कोई ठोस कारण सिद्ध नहीं होता। पुलिस द्वारा बरामद किया गया आला–कत्ल लोहे का पाइप और नकदी पूरी तरह से मनगढ़ंत है। बरामद पाइप पर कोई रक्त के निशान नहीं पाए गए, जो पुलिस की कहानी पर संदेह पैदा करता है। मृतक गायब 13 दिसम्बर को हुआ, गुमशुदगी 17 दिसंबर को हुई, शव 21 दिसंबर को मिला, लेकिन हत्या का मुकदमा 29 दिसंबर को दर्ज कराया गया। इस लंबी देरी का कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, जो साक्ष्यों में हेरफेर की संभावना को जन्म देता है। अभियोजन पक्ष सी.डी.आर. या अन्य तकनीकी साक्ष्यों के माध्यम से अभियुक्तों की घटनास्थल पर उपस्थिति ठोस रूप से साबित करने में विफल रहा है। अभियोजन परिस्थितियों की ऐसी अटूट श्रृंखला बनाने में विफल रहा है, जो केवल अभियुक्तों के दोषी होने की ओर इशारा करे। अभियोजन की ओर से परीक्षित औपचारिक साक्षीगण द्वारा अपनी साक्ष्य से औपचारिक रूप से अभियोजन प्रपत्रों को साबित करते हुये घटना के उपरांत जो भी कार्यवाही की गयी, उनको साबित किया गया है। अभियोजन प्रपत्रों के साबित होने के आधार

पर अभियोजन कथानक को तब तक विश्वसनीय व साबित नहीं माना जा सकता, जब तक घटना के बावत तथ्य के साक्षीगण द्वारा युक्तियुक्त रूप से घटना को संदेह से परे साबित नहीं कर दिया जाता है। उक्त आधारों पर बल देते हुए अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने की याचना की गयी।

27. उपरोक्त तर्क के विपरीत विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से तर्क किया गया कि पी.डब्लू. 06 डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक के सिर की हड्डी में फ्रैक्चर था, जो किसी कुंद वस्तु से प्रहार के कारण हुआ था, न कि केवल पानी में गिरने से। डॉक्टर ने स्पष्ट किया है कि सिर पर आई चोटों के कारण उत्पन्न कोमा ही मृत्यु का कारण था, जो इस बात की पुष्टि करता है कि यह एक सुनियोजित हत्या है। विवेचक पी.डब्लू. 09 के अनुसार, अभियुक्तों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लोहे का पाइप और प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है, जो धारा 23(2) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के परंतुक के तहत महत्वपूर्ण साक्ष्य है। विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि अभियुक्तों के बीच मृतक की हत्या के लिए एक लाख रुपये की सुपारी का लेनदेन हुआ था, जिसमें से 37,500 रुपये बरामद किए गए। पुल की रैलिंग पर खून के निशान मिलना और वहां से ब्लड स्टेन प्लास्टर बरामद होना इस बात का पुख्ता सबूत है कि हत्या नदी के पुल पर ही की गई और फिर शव नीचे फेंका गया। विवेचना से यह स्पष्ट है कि सभी अभियुक्तों ने मिलकर वादिनी के पुत्र मुनेश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई थी, जिसमें राघवेन्द्र और योगेन्द्र मास्टर की मुख्य भूमिका रही। विवेचना के दौरान सी.डी. आर. और प्रारंभिक पूछताछ में अभियुक्तों की उपस्थिति मृतक के साथ अंतिम बार देखी गई थी। अभियुक्तों ने अपराध करने के बाद साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को नदी में फेंका और आला–कत्ल को भी छिपा दिया, जो उनकी संलिप्तता दर्शाता है। पी.डब्लू. 04, 08 और 09 ने चिक रिपोर्ट, जी.डी. और पंचायतनामा की सत्यता प्रमाणित की है। अभियोजन कथानक पूर्णतया सन्देह से परे साबित है। उक्त आधार पर अभियुक्तगण को कठोर से कठोर दण्ड दिये की याचना की गयी।

28. उपरोक्त तर्कों के आलोक में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और घटना का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **शरद बिरधी चन्द सारदा बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ए0आई0आर0 1984 एस0सी0 1622 (तीन जजों द्वारा)** के केस में विधि का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित केस में अभियुक्त की दोषसिद्धि तभी की जा सकती हैः–

1. वह परिस्थितियॉ, जिनके आधार पर अभियुक्त का अपराधी होने का निष्कर्ष निकाला जाता है, वह सभी पूर्ण रूप से साबित होती हों।
2. उपरोक्तानुसार जो परिस्थितियॉ साबित होती हों, वह इस अवधारणा का समर्थन करती हों कि अभियुक्त ही दोषी है, अर्थात् जिनका कोई अन्य स्पष्टीकरण संभव नहीं है तथा उनके आधार पर केवल एक ही निष्कर्ष निकलता हो कि अभियुक्त दोषी है।
3. परिस्थितियॉ, जो साबित की गयी हैं, वह सभी निश्चायक हों।
4. किसी अन्य परिस्थिति को निकाल दिया गया हो, जिसके आधार पर अभियुक्त निर्दोष साबित होता हो।
5. सभी परिस्थितियॉ मिलकर एक ऐसी श्रृंखला का निर्माण करती हों, जिसके आधार पर केवल एक यही निष्कर्ष निकलता हो कि केवल अभियुक्त द्वारा ही यह अपराध कारित किया गया है।

29. उपरोक्त के आधार पर ही इस मामले को देखा जाना है, अर्थात् परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में लास्ट सीन एविडेंस, उसकी साक्ष्य में ग्राह्यता, मृतक की मृत्यु की सम्बद्धता, उक्त लास्ट सीन से हुए सारे घटनाक्रम का एक चैन की तरह कड़ियों में पिरोया होना और कोई भी कड़ी एक–दूसरे को तोड़ती न हो तथा यह सभी परिस्थितियॉ और तथ्य केवल और केवल अभियुक्तगण की ओर इशारा कर रहे हों, न कि किसी और की ओर, इन्हीं आधारों पर प्रस्तुत मामले को देखा जाना है। यह भी देखा जाना है कि मामले का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य नहीं है, तब अभियुक्तगण का नाम प्रकाश में किस प्रकार आया और उनकी इस घटना में क्या भूमिका रही, उन्हें घटना कारित करने का क्या हेतुक था।

30. अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को साबित कराने के लिये इस मामले में कुल 09 साक्षीगण परीक्षित कराये गये हैं, जिनमें से साक्षी पी0डब्लू0 01 वादिनी मुकदमा कांति देवी, पी0डब्लू0 02 उमा, पी0डब्लू0 03 सविता, पी0डब्लू0 05 जगमोहन व पी0डब्लू0 07 विशाल कुमार तथ्य के साक्षी हैं। तथ्य के साक्षी पी0डब्लू0 03 की उम्र साक्ष्य अंकित करने के समय 14 वर्ष थी और वह न्यायालय द्वारा पूछे गये प्रश्नों का सही उत्तर नहीं दे पायी, जिस कारण इस साक्षी को साक्ष्य देने हेतु समर्थ साक्षी नहीं माना गया और उसे साक्ष्य से उन्मोचित कर दिया गया।

31. मामले का प्रारंभ वादिनी कान्ती देवी पी.डब्लू. 01 द्वारा दिनांक 17.12.2024 को दी गई गुमशुदगी की रिपोर्ट प्रदर्श क–01 से होता है, जिसमें उसने

बताया कि उसका पुत्र मुनेश कुमार मानसिक रूप से कमजोर था और अक्सर बिना बताए घर से चला जाता था। यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि इस सूचना में किसी भी व्यक्ति पर संदेह व्यक्त नहीं किया गया था। इसके उपरांत, दिनांक 21.12.2024 को जगमोहन पी.डब्लू. 05 द्वारा अज्ञात शव मिलने की सूचना प्रदर्श क–05 दी गई, जिस पर पुलिस ने पंचायतनामा प्रदर्श क–07 भरा, जिसमें भी शव को अज्ञात माना गया और प्रथम दृष्टया मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने की बात कही गई। इसके बाद वादिनी के दूसरे पुत्र श्यामबाबू द्वारा दिनांक 23.12.2024 को प्रार्थना–पत्र प्रदर्श क–14 देकर शव की शिनाख्त मुनेश के रूप में की गई, परंतु इस स्तर तक भी किसी हत्या की आशंका या अभियुक्तों के नाम का कोई उल्लेख नहीं था। अभियोजन की कहानी में सबसे बड़ा विधिक दोष तब उत्पन्न होता है, जब घटना के 16 दिन बाद और शव मिलने के 8 दिन बाद, दिनांक 29.12.2024 को अचानक अज्ञात के विरुद्ध हत्या की एफ.आई.आर. प्रदर्श क–03 दर्ज कराई जाती है, जिसका कोई तार्किक स्पष्टीकरण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। वादिनी पी.डब्लू. 01 ने अपनी मुख्य परीक्षा में केवल औपचारिक रूप से अपने द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र प्रदर्श क–01 व प्रदर्श क–02 की पुष्टि की और कोई भी आरोप अभियुक्तगण के विरूद्ध एवं मृतक की हत्या होने के संबंध में नहीं लगाया गया है। साक्षी पी0डब्लू0 01 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसका पुत्र मुनेश शराब पीने का आदी था। वह रामलीला व अन्य पार्टियों में नाच–गाने का प्रोग्राम करता था। घर से कभी–कभी 15–20 दिन तक गायब रहता था। 20 दिन बाद जब घर आता था, तो उससे उसकी कभी–कभार मुलाकात होती थी। उसका पुत्र मुनेश उससे कई–कई दिनों तक नहीं मिलता था। उसका मकान, मुनेश के मकान से दूर है। उसका पुत्र मुनेश शराब की लत में अन्य लोगों के साथ दारू पीता था। दारू पीने में झगड़े भी होते थे। उसके पुत्र मुनेश की हत्या करते उसने किसी को नहीं देखा था। उसके पुत्र मुनेश की हत्या किसने की, इस बात की उसे कोई जानकारी नहीं है। यह संभव है कि उसका पुत्र मुनेश शराब के नशे में मोटरसाइकिल चलाकर जा रहा था और अत्यधिक शराब पीने के कारण उसकी मौत हो गई। इस प्रकार पी0डब्लू0 01 की साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं होती है और न ही परिस्थितिजन्य मामले की किसी श्रृंखला का निर्माण होता है।

32. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–02 उमा, जो मृतक मुनेश कुमार की पत्नी है, उसने भी अपनी मुख्य परीक्षा में पी0डब्लू0 01 के समान साक्ष्य दिया है और कोई भी आरोप अभियुक्तगण के विरूद्ध एवं मृतक की हत्या होने के संबंध

में नहीं लगाया गया है। साक्षी पी0डब्लू0 02 ने भी अपनी प्रतिपरीक्षा में पी0डब्लू0 01 के समान कथन करते हुए कहा है कि उसका पति अत्यधिक शराब पीने का आदी था और अक्सर नशे की हालत में ही मोटरसाइकिल चलाकर बाहर जाया करता था। साक्षी ने स्पष्ट रूप से प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि उसे यह नहीं पता कि उसके पति की हत्या किसने की है या वह स्वयं शराब के नशे में मोटरसाइकिल चलाते समय पुल से नीचे गिर गया और चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह भी स्वीकार किया कि उसने कभी भी अपने पति को अभियुक्तगण योगेन्द्र, मनोज, योगेश, नितेश, शिवकुमार, प्रदीप या राघवेन्द्र उर्फ टिंकू तिवारी के साथ जाते हुए या शराब पीते हुए नहीं देखा। इसके अतिरिक्त, साक्षी ने गांव में किसी भी प्रकार की रंजिश होने से भी साफ इनकार कर दिया। इस प्रकार इस साक्षी की साक्ष्य से भी अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये किसी भी आरोप को कोई बल नहीं मिलता है।

33. पी0डब्लू0 05 के रूप में अभियोजन की ओर से जगमोहन को परीक्षित कराया गया है। साक्षी पी0डब्लू0–05 जगमोहन सिंह की साक्ष्य के सम्यक् परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि यह साक्षी केवल शव की बरामदगी और उसकी सूचना दिये जाने तथा पंचायतनामा पर उसके हस्ताक्षर होने का एक औपचारिक गवाह मात्र है, जिसका साक्ष्य अभियुक्तगण को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में केवल इतना ही कथन किया है कि दिनांक 21.12.2024 को जब वह अपने गांव के अन्य लोगों के साथ शारदा देवी के अंतिम संस्कार के लिए काली नदी के किनारे गया था, तब उसने एक अज्ञात शव को पानी में तैरते हुए देखा, जिसकी सूचना उसने पुलिस को दी और बाद में पुलिस ने उसकी उपस्थिति में शव का पंचनामा तैयार किया। मुख्य परीक्षा में उसने प्रदर्श क–05 तहरीर और पंचनामा पर अपने हस्ताक्षरों की पुष्टि की और यह उल्लेख किया कि उसे बाद में पता चला कि यह शव मुनेश कुमार का था। इस साक्षी की साक्ष्य किसी भी प्रकार से अभियुक्तगण की संलिप्तता को प्रकट नहीं करती। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से बताया कि उसे नहीं पता कि मृतक की मृत्यु कैसे हुई और उसने केवल शव को नदी में बहते हुए देखा था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह भी स्पष्ट रूप से कहा कि वह यह नहीं बता सकता कि मृतक शराब के नशे में पुल से नीचे गिरकर मरा है या किसी अन्य कारण से। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने कभी यह नहीं सुना कि मुनेश की किसी ने हत्या कारित की है। पी0डब्लू0–05 एक निष्पक्ष स्वतंत्र गवाह के रूप में प्रस्तुत हुआ है और उसकी साक्ष्य भी अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को पुष्ट नहीं करती है।

34. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–07 विशाल कुमार की साक्ष्य की समीक्षा करने पर यह स्पष्ट होता है कि यह साक्षी अभियोजन की लास्ट सीन थ्योरी की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी था, परंतु इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन न किये जाने के कारण इस साक्षी को अभियोजन की प्रार्थना पर पक्षद्रोही घोषित किया गया। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में केवल इतना स्वीकार किया कि वह शराब के ठेके के पास अंडे की ठेली लगाता है और दिनांक 13.12.2024 की रात को अभियुक्त राघवेन्द्र उर्फ टिंकू तिवारी अपने दोस्त योगेन्द्र के साथ उसकी ठेली पर आए थे और अंडे खरीदे थे। उसने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि वह मृतक मुनेश को पहले से जानता है। उसने अभियुक्तगण के साथ मृतक मुनेश कुमार को नहीं देखा था। साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को भी पुष्ट किया कि मृतक मुनेश शराब पीने का आदी था और स्वयं शराब पीने आता था, जिससे एक्सीडेंटल थ्योरी को बल मिलता है। इस प्रकार पी0डब्लू0–07 का साक्ष्य यह प्रमाणित करता है कि अभियोजन के पास अभियुक्तों को घटनास्थल या मृतक के साथ जोड़ने वाला कोई भी विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है।

35. अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–06 डॉ0 अर्जुन सिंह, जिसने मृतक मुनेश कुमार के शव का विच्छेदन किया था, के अनुसार मृतक की मृत्यु का संभावित कारण सिर की चोट से उत्पन्न कोमा बताया गया, परंतु इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि मृतक के शरीर पर पायी गयी चोटें गिरने से आना संभव है। यह स्वीकृति बचाव पक्ष के उस तर्क को बल प्रदान करती है कि मृतक शराब के नशे में मोटरसाइकिल चलाते समय पुल से नीचे गिर गया होगा, जिससे चोट लगने के कारण उसकी मृत्यु हो गयी। साक्षी पी0डब्लू0 06 ने प्रतिपरीक्षा में यह बताया है कि मृतक के सिर पर ही चोट थी, जिसके कारण मृत्यु होना संभव है। यदि यह एक सुनियोजित हत्या होती और कई अभियुक्तों ने मिलकर हमला किया होता, तो शरीर के अन्य हिस्सों पर भी संघर्ष के निशान या चोटें होने की प्रबल संभावना थी। इसके अतिरिक्त डॉक्टर ने मृत्यु का समय पोस्टमार्टम से 3–4 दिन पूर्व बताया, जो अभियोजन की घटना की तिथि (13 दिसंबर) और पोस्टमार्टम की तिथि (23 दिसंबर) के बीच के 10 दिनों के अंतराल के साथ पूरी तरह मेल नहीं खाता, जिससे अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों पर प्रश्नचिन्ह लगता है। पी0डब्लू0 06 डॉ0 अर्जुन सिंह का साक्ष्य यह तो सिद्ध करता है कि मृत्यु सिर की चोट से हुई, परंतु वह यह सिद्ध करने में पूरी तरह विफल रहा है कि यह चोट अभियुक्तों के प्रहार से ही लगी थी, क्योंकि डॉक्टर ने स्वयं इसे गिरने से आई चोट के रूप में

स्वीकार किया है। विधिक रूप से जब चिकित्सकीय साक्ष्य हत्या और दुर्घटना दोनों की समान संभावना व्यक्त करते हों, तो इसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिये।

36. साक्षी पी0डब्लू0–08 एस0आई0 राहुल कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में केवल अज्ञात शव की बरामदगी और पंचायतनामा (प्रदर्श क–07) भरने की प्रक्रिया का उल्लेख किया है। इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0 09 निरीक्षक शम्भूनाथ, जिसके द्वारा विवेचना के उपरांत इस मामले में आरोप–पत्र प्रेषित किये गये हैं। इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि दौरान विवेचना उन्हें कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिला, जिसने घटना होते हुए देखी हो। विवेचक द्वारा दिखाई गई आला–कत्ल लोहे के पाइप की बरामदगी भी अत्यंत संदिग्ध है, क्योंकि फर्द बरामदगी प्रदर्श क–12 में विवेचक ने अंकित किया है कि अभियुक्त प्रदीप व उसके सहअभियुक्त शिवकुमार उर्फ योगेश व सोगेश उर्फ नेक्सा ने आगे–आगे चलकर पुल के बॉयी तरफ वाली पटरी के किनारे नदी के पानी में से लोहे का पाईप निकालकर दिया, जिसको देखा गया, तो रक्त रंजित है, जबकि विवेचक पी0डब्लू0 09 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि आला–कत्ल काफी समय से नदी में पड़े होने के कारण उस पर कोई खून किसी भी प्रकार का लगा नहीं दिखाई दे रहा था। इन दोनों पुलिस साक्षियों पी0डब्लू0 08 व पी0डब्लू0 09 का बयान केवल यह सिद्ध करता है कि एक अज्ञात शव मिला था, जिसकी शिनाख्त बाद में हुई, परंतु उस मृत्यु को इन विशिष्ट अभियुक्तों के साथ जोड़ने वाली कोई भी अटूट कड़ी विवेचक द्वारा साबित नहीं की जा सकी।

37. पत्रावली पर ऐसा कोई स्वतंत्र साक्ष्य मौजूद नहीं है, जो गुमशुदगी से लेकर शिनाख्त और फिर अचानक हत्या के आरोप के बीच की कड़ियों को विधिक रूप से जोड़ सके, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि केवल संदेह और पुलिसिया इकबालिया बयानों के आधार पर, जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हैं, दोषसिद्धि संभव नहीं है।

38. विधि का यह स्थापित सिद्धांत है कि किसी भी आपराधिक प्रकरण में घटना के हेतुक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। किसी आपराधिक घटना का हेतुक क्या है, इसका कोई साक्ष्य सम्पूर्ण सटीकता के साथ प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, किन्तु अभियोजन को यह स्थापित करने का प्रयास करना चाहिये कि अभियुक्तगण द्वारा मृतक की हत्या किये जाने का कुछ प्रयोजन था। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में हेतुक को साबित करना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि सशक्त हेतुक की परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ियां स्थापित करने में एक

महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जहॉ तक प्रस्तुत मामले में घटना कारित किये जाने के संबंध में हेतुक का प्रश्न है, इस सन्दर्भ में न तो वादिनी के प्रार्थना–पत्रों में कोई कथन है कि अभियुक्तगण की वादिनी अथवा उसके मृतक पुत्र से किसी प्रकार की कोई रंजिश थी और न ही तथ्य के साक्षीगण द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में कोई कथन किया गया है, बल्कि मृतक की पत्नी पी0डब्लू0 02 द्वारा यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि उसके पति की किसी से कोई रंजिश नहीं थी। इस प्रकार साक्षीगण की साक्ष्य से घटना का हेतुक सन्देहास्पद है।

39. उपरोक्त समस्त साक्ष्य के विवेचनोपरांत न्यायालय का मत है कि इस मामले के साक्षियों द्वारा प्रस्तुत बयान सहज स्वाभाविक एंव विश्वसनीय नहीं हैं। यह भी विवेचना में पाया गया है कि मामले में कोई हेतुक अथवा परिस्थितिजन्य साक्ष्य की ऐसी श्रृंखला इस प्रकार से नहीं प्रस्तुत की जा सकी हैं कि मामले में घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है। प्रस्तुत मामले में मृतक की उपस्थिति अभियुक्तगण के साथ अंतिम बार देखे जाने के संबंध में संदेहास्पद है, न ही तथ्य के साक्षीगण द्वारा इस तथ्य को साबित किया गया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत एकल साक्ष्य अथवा हितबद्ध साक्ष्य जो विश्वसनीय व अकाट्य हो, के आधार पर भी अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जा सकता है, परन्तु तथ्य के साक्षीगण द्वारा जो घटना के बावत साक्ष्य दी गयी है, उसके आधार पर अभियोजन कथानक युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है और अभियुक्तगण सन्देह का लाभ पाकर दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

40. चूंकि अभियुक्त प्रदीप के कब्जे से 17,500/– रुपये और अभियुक्त शिवकुमार उर्फ योगेश के कब्जे से 20,000/– रुपये रंगदारी के बरामद होना दिखाए गए हैं। उक्त दोनों अभियुक्तगण ने अपने जमानत प्रार्थना–पत्रों में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि यह धनराशि उनकी अपनी है और अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि यह धनराशि हत्या की सुपारी की थी। ऐसी स्थिति में उस बरामद नकदी को अपराध से प्राप्त आय नहीं माना जा सकता। अतः यह धनराशि उन्हें वापस की जानी न्यायसंगत है।

आदेश

(A) अभियुक्तगण योगेन्द्र उर्फ पप्पू, मनोज उर्फ भूरे, नितेश उर्फ नितनेश को धारा 103(1) सपठित धारा 3(5) व 61(2)ए बी0एन0एस0, अभियुक्तगण सोगेश उर्फ नेक्सा, शिवकुमार उर्फ योगेश व प्रदीप को धारा 103(1) सपठित धारा 3(5) व 238ए बी0एन0एस0 एवं अभियुक्त राघवेन्द्र उर्फ राजेश उर्फ राजा उर्फ टिंकू तिवारी को धारा 103(1) सपठित धारा 3(5) व

61(2)ए बी0एन0एस0 के आरोपों से सन्देह का लाभ प्रदत्त कर दोषमुक्त किया जाता है।

(B) अभियुक्तगण जमानत पर है, उनके जमानत प्रपत्र निरस्त कर प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

(C) अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि वह धारा 481 बी0एन0एस0एस0 के अन्तर्गत बीस–बीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान राशि के दो–दो प्रतिभू निर्णय पारित करने के दस दिवस के अन्दर अपील अवधि तक के लिये प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें, जो केवल छः माह तक प्रभावी होगें, तत्पश्चात प्रतिभूगण स्वयं उन्मोचित माने जायेंगे।

(D) इस निर्णय की एक प्रति सत्र परीक्षण सं0 167/2026, राज्य बनाम राघवेन्द्र उर्फ राजेश उर्फ राजा उर्फ टिंकू तिवारी की पत्रावली पर भी रखी जाये।

(E) अभियुक्त प्रदीप से बरामद 17,500/– रुपये तथा अभियुक्त शिवकुमार उर्फ योगेश से बरामद 20,000/– रुपये (कुल 37,500/– रुपये), जो वर्तमान में थाना मालखाने में जमा है, अपील की अवधि बीतने के उपरांत संबंधित अभियुक्तगण को उनके द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर नियमानुसार वापस प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि कोई अन्य पक्ष उस पर बेहतर स्वामित्व का दावा न करे और यदि अभियोजन पक्ष इस निर्णय के विरुद्ध अपील करने का इरादा रखता है, तो अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार उक्त संपत्ति को नियमानुसार निस्तारित किया जाये।

दिनाँकः 09.04.2026

(दिनेश चन्द)
सत्र न्यायाधीश, एटा
जे0ओ0 कोड सं0 यू0पी0 6538

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित किया जाकर उद्घोषित किया गया।

दिनाँकः 09.04.2026

(दिनेश चन्द)
सत्र न्यायाधीश, एटा
जे0ओ0 कोड सं0 यू0पी0 6538

Digitally signed by DINESH CHAND
Date: 2026.04.09 14:15:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court